



CITY OF PATNA

## पटना नगर निगम कार्यालय आदेश



गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश ज्ञापांक-जी/आपदा-06-02-2020-2633, दिनांक 09.04.2021 के द्वारा बिहार राज्य में कोविड संक्रमण के मामले में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए दिनांक-30.04.2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों में उप सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारी शत-प्रतिशत एवं उनसे कनीय अधिनस्थ अधिकारी/ कर्मचारी को प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ कार्य करने का आदेश दिया गया था। समय-समय पर इसे आंशिक संशोधनों के साथ विस्तारित किया गया था।

पुनः गृह विभाग के ज्ञापांक-जी/आपदा-06-02/2020-3039, दिनांक 08.06.2021 के माध्यम से दिनांक 09.06.2021 से दिनांक 15.06.2021 तक सभी सरकारी कार्यालयों को 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ कार्य करने एवं अपराह्न 04:00 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया।

अतः उक्त के अनुपालन में पटना नगर निगम मुख्यालय के सभी शाखा के नियंत्री पदाधिकारी, सभी अंचल एवं प्रमंडल के कार्यपालक पदाधिकारी/ कार्यपालक अभियंता निदेशित हैं कि वे स्वयं प्रति कार्य दिवस पर उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे एवं अपने अधिनस्थ कर्मियों में से 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ कार्यालय कार्य का संपादन करावें तथा कार्यालय 04:00 बजे अपराह्न से बंद करना सुनिश्चित करेंगे। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शेष कर्मियों से work-from-home के पद्धति से कार्य करने का आदेश दिया जाता है। शेष कर्मों अपना मोबाईल चालू रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार कार्यों का निष्पादन करेंगे। यह आदेश सफाई, जलापूर्ति, जन्म-मृत्यु एवं गोपनीय शाखा के कर्मियों पर प्रभावी नहीं होगा, वे शत प्रतिशत कर्मों के साथ कार्य करेंगे।

साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि मुख्यालय, अंचल तथा प्रमंडल में सामान्य आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

उपस्थित सभी पदाधिकारी/ कर्मचारी अनिवार्य रूप से मास्क लगावेंगे, हैंड सेनिटाईजर/ साबुन का प्रयोग करेंगे तथा कार्य के दौरान आपस में उचित दूरी बनाये रखेंगे।

यह आदेश दिनांक-15.06.2021 तक प्रभावी होगा।

*[Signature]*  
08.06.2021

*[Signature]*  
12/6/2021  
नगर आयुक्त  
पटना नगर निगम

ज्ञापांक-III/M-68/2019-Part-IV-0.3.5.3.3.प०न०नि०, पटना, दिनांक-12.06/2021

प्रतिलिपि- सभी अपर नगर आयुक्त/ सभी उप नगर आयुक्त/ नगर वित्त एवं लेखा नियंत्रक/ मुख्य नगर अभियंता/ निदेशक, शहरी योजना/ विधि पदाधिकारी/ निगरानी पदाधिकारी/ भू-सम्पदा पदाधिकारी/ नगर सचिव/ प्रथम अपीलीय/ लोक शिकायत/ सभी नोडल पदाधिकारी/ निबंधक, जन्म-मृत्यु/ सभी कार्यपालक पदाधिकारी/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*[Signature]*  
08.06.2021

*[Signature]*  
12/6/2021  
नगर आयुक्त  
पटना नगर निगम